



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल ।

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

पत्रांक - डी0आई0सी0/2021/1039/५९४,

दिनांक - 13.01.2021

सूचना

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के बी0 एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु परिसर/महाविद्यालय/संस्थान का आवंटन मेरिट के आधार पर विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.kunainital.ac.in के माध्यम से दिनांक 14.01.2021 से 25.01.2021 तक ऑनलाईन काउन्सिलिंग के द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

ऑनलाईन काउन्सिलिंग हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश -

1. कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा संचालित “बी0 एड0 प्रवेश परीक्षा-2020” में सम्मिलित होने से अभ्यर्थी उन सभी नियमों, प्रतिबन्धों से आबद्ध हो जाता है जो विवरण-पुस्तिका में विभिन्न स्थानों पर दिये गये हैं या जिन्हें समय-समय पर विश्वविद्यालय परिवर्तित करे या लागू करे।

2. ऑनलाईन काउन्सिलिंग हेतु विभिन्न चरण (Steps for online Counseling) -

प्रथम चरण - (Counselling Fee)	ऑनलाईन काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु 500.00 शुल्क ऑनलाईन माध्यम से जमा किया जाना होगा। शुल्क जमा करने के उपरान्त ही अभ्यर्थी परिसर/महाविद्यालय/संस्थान का वरीयता क्रम के आधार पर चयन कर पायेगा।
द्वितीय चरण - (Upload Documents)	काउन्सिलिंग शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थियों को अपने निम्नांकित दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने होंगे - क. हाईस्कूल प्रमाण पत्र। ख. अर्हता की अंकतालिका (Qualifying Marksheets) - अभ्यर्थी को अपने स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष की अंकतालिका जिसमें वह बी0 एड0 पाठ्यक्रम की अर्हता (सामान्य वर्ग हेतु 50 प्रतिशत तथा अन्य वर्गों हेतु 45 प्रतिशत अंक) पूर्ण करता हो अपलोड करनी है। ग. अधिमान अंकों से सम्बन्धित दस्तावेज (Weightage Marks) - अभ्यर्थी को अधिमान अंकों (“बी0 एड0 प्रवेश परीक्षा-2020” की विवरणिका के बिन्दु सं0 06 में वर्णित) से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपलोड किये जाने होंगे। घ. आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र (Document Regarding Reservation) - आरक्षण प्रमाण-पत्र जैसे अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सैनिक आश्रित, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकी आश्रित, विकलांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), परित्यक्ता प्रमाण पत्र आदि को आरक्षण का लाभ से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। जो अभ्यर्थी आवेदन-पत्र में दर्शाये गये आरक्षण वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र अपलोड नहीं कर पायेंगे वे आरक्षण हेतु योग्य नहीं होंगे तथा उन्हें इन वर्गों की सीटों में प्रवेश दिया जाना सम्भव नहीं होगा। ड) स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) - क्षेत्रीय आरक्षण (SC/ST/OBC/EWS) का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड का निवासी होना आवश्यक है। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को उक्त लाभ दिया जाना सम्भव नहीं होगा। अभ्यर्थी समस्त प्रमाण पत्रों को अपलोड करने के उपरान्त इनकी भली-भाँति जांच कर ले। प्रमाण पत्रों को लॉक करने के उपरान्त कोई भी नया प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना सम्भव नहीं होगा।

तृतीय चरण - (Choice Filling)	अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान का चयन करना होगा। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वरीयता क्रम के चयन के उपरान्त अभ्यर्थी को चयनित वरीयताओं का पूर्वालोकन (Preview) करना होगा। तदुपरान्त सन्तुष्ट होने की दशा में ही वरीयताओं को लॉक (Final Submit & Lock) करना होगा। एक बार वरीयता लॉक करने के उपरान्त इसमें परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा।
---------------------------------	---

3. **योग्यता सूची** - योग्यता सूची (Merit List) में अभ्यर्थी का मेरिट क्रम प्राप्तांकों तथा अधिमान अंकों (Weightage Marks) के योग के आधार पर होगा। एक से अधिक अभ्यर्थियों के अंकों का योग यदि समान होता है, तो उस स्थिति में प्रत्येक अभ्यर्थी की पारस्परिक मेरिट की अवधारणा प्रथमतः सम्बन्धित अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित की जायेगी। योग्यता सूची (Merit List) सीटों के आवंटन से पूर्व विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट में अपलोड कर दी जायेगी।
4. **परिसर/महाविद्यालय/संस्थान का आवंटन** - अभ्यर्थी को परिसर/महाविद्यालय/संस्थान का आवंटन उसके द्वारा दी गयी वरीयता क्रम के आधार पर किया जायेगा। विद्यार्थी द्वारा दी गयी प्रथम वरीयता में सीट उपलब्ध न होने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा प्रदत्त अगली वरीयता को तदनु रूप परिसर/महाविद्यालय/संस्थान आवंटन हेतु लिया जायेगा।
5. **आवंटित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की सूचना** - अभ्यर्थी को उसको आवंटित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की सूचना (Call Letter) वेबसाइट के माध्यम से ही प्रदान की जायेगी जिसे अभ्यर्थी द्वारा स्वयं वेबसाइट से डाउनलोड किया जाना होगा। अन्य किसी भी माध्यम से Call Letter प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं होगा।
6. कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल से पृथक किये गये सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा के गठन के दृष्टिगत सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा के अधिकारिता क्षेत्र में आने वाले समस्त परिसर/महाविद्यालयों/संस्थानों में बी0 एड0 पाठ्यक्रम में वर्तमान काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा से सम्बद्ध होंगे।

Sajid Pathan
13/01/2021

निदेशक, डी0 आई0 सी0

कोआर्डिनेटर, प्रवेश परीक्षा- 2020

पृष्ठांकन सं0 - डी0आई0सी0/2021/1039/498,

तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नांकित समाचार पत्रों के सम्पादकों को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र के उत्तराखण्ड संस्करण में छात्रहित एवं जनहित में समाचार के रूप में दिनांक - 14 जनवरी, 2021 को निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें -

- दैनिक जागरण, नैनीताल।
- दैनिक आज, नैनीताल।
- उत्तर उजाला, नैनीताल।
- हिन्दुस्तान, नैनीताल।
- न्यूज प्रिन्ट, नैनीताल।
- परीक्षा नियन्त्रक, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- समस्त निदेशक/प्राचार्य, सम्बद्ध कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने स्तर से सम्बन्धित विद्यार्थियों के मध्य प्रसारित/प्रचारित करने का कष्ट करेंगे।
- निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
- अमर उजाला, नैनीताल।
- राष्ट्रीय सहारा, नैनीताल।
- शाह टाइम्स, नैनीताल।
- उत्तरांचल दीप, नैनीताल।

Sajid Pathan
13/01/2021

निदेशक, डी0 आई0 सी0

कोआर्डिनेटर, प्रवेश परीक्षा- 2020